न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—318 / 2019 / 223 (2019 / 00318)

1. सायरदेवी पत्नी रामधन जाति जाट,
2. ममता पुत्री रामधन, जाति जाट,
3. सुनिता पुत्री रामधन, जाति जाट,
4. भंवरलाल पुत्र रामधन, जाति जाट,
5. हंसा पुत्री रामधन, जाति जाट,
6. सत्यनारायण पुत्र रामधन नाबालिग जरिये माता सायर पत्नी रामधन, जाति जाट,

समस्त निवासी मालेड़ा, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नारायणी देवी पत्नी बन्नाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम गिदानी, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 3.9.2019 अंतर्गत वाद संख्या 115 / 2009.

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री दीपक पारीक, रेस्पो0 संख्या 1 .

निर्णय

दिनांकः— 31.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3.9.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष गलकु पत्नि स्व0 गोपी व नारायण पत्नि बन्नाराम ने वाद इस आशय का पेश किया कि स्व0 गोपी की गलकू पत्नि है व नारायणी पुत्री होकर दोनों स्व0 गोपी के वारिसान है इनके अलावा स्व0 गोपी के ओर कोई वारिसान नहीं है । प्रतिवादी रामधन का विवादित आराजी जो स्व0 गोपी की थी से कोई संबंध नहीं है । इसके बावजूद ग्राम पंचायत नानण से साज करके नामांतकरण संख्या 327 दिनांक 13.6.1985 तस्दीक करा लिया । स्व0 गोपी ने अपने जीवनकाल में रामधन को कभी गोद नहीं रखा । तथाकथित नामांतकरण शून्य है । अन्त में वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 2.9.2019 को वादीया का वाद डिक्री कर दिया ।

अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने लिखित एवं मौखिक बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वाद में तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर सरसरी तौर पर वादीया का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत किया है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में वादीया के द्वारा अपने आप को स्व0 गोपी की पुत्री किस आधार पर व किन दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य से माना है इस बाबत् अपने निर्णय में कहीं भी अंकित नहीं किया है । इसी प्रकार तनकी संख्या 2 स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित थी जिसे वादीया साबित करने में पूर्णतया असफल रही है जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी ने दस्तावेजी साक्ष्यों से इस तनकी को साबित किया था । बहस में कथन किया कि अपीलांट गोपी के स्वर्गवास के बाद विवादित आराजियात पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में अपीलांट विवादित भूमि को काश्त कर रहे है । अपने कब्जे काश्त के संबंध में अपीलांट/प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये थे जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । तनकी संख्या 3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण/अपीलांटस पर था । इस संबंध में अपीलांटस ने मौखिक साक्ष्य पेश किये तथा नामांतकरण संख्या 327 जो विधिवत् रूप से अपीलांट के पिता रामधन के हक में स्व0 गोपी की विरासत का खोला गया था से होती है । उक्त नामांतकरण के संबंध में वादिया द्वारा अपील पेश की गई थी जो दिनांक 24.2.1987 को खारिज हो गयी थी एवं इसके पश्चात् एक पुनः अपील दिनांक 19.3.2002 को पेश की जो दिनांक 31.5.2004 को खारिज हो चुकी है । उक्त दस्तावेजात अपीलांटस ने प्रदर्शित करवाये थे जिससे नामांतकरण संख्या 327 सही रूप से तस्दीक किया जाना सिद्ध था । वादिया ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे वादिया स्व0 गोपी की पुत्री साबित होती हो । बहस में आगे कथन किया कि वादिया ने स्वंय ने विवादित भूमि पर अपीलांटस का कब्जा माना है, वादिया कभी भी गांव मालेड़ा में नहीं रही न ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये है । वादीया ग्राम गिदानी की रहने वाली है । वादिया ने स्व0 गलकू से मिलकर उसे बहकावें में लेकर स्व0 गोपी की भूमि हड़पने हेतु यह वाद पेश किया था । उक्त वाद में महत्वपूर्ण गवाह गलकू थी जो पेश नहीं हुई है । विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2016 पेज 126 एवं आर0आर0टी0 2017 प्रथम पेज 486 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 840/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 841/1 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नंबर 843 रकबा 4 बिस्वा ग्राम मालेड़ा तह0 मौजमाबाद में वादीगण/रेस्पो0 अपने 1/2, 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है । विवादित आराजियात वादीया संख्या 1 के पति एवं वादिया

संख्या 2 के पिता की है । हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 8 की प्रथम अनुसूची के तहत गलकू खातेदार गोपी की पत्नि तथा नारायणी गोपी की जायंदा पुत्री है जिससे इनके विवादित आराजियात में हक व अधिकार है । स्व0 गोपी के वादीगण के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है । विवादित आराजियात से अपीलांटस के पिता रामधन का कोई संबधं नहीं है । रामधन ने ग्राम पंचायत नानण से साज करके नामांतकरण अपने नाम तस्दीक करवा लिया था जिसकी अपील विचाराधीन है । बहस में आगे कथन किया कि स्व0 गोपी ने अपने जीवनकाल में कभी भी अपीलांटस के पिता रामधन को गोद नहीं लिया था क्योंकि उसके स्वंय के जायंदा वारिसान मौजूद थे । विवादित आराजियात पर आज दिवस तक रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण उपरांत तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित कर वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण गलकू व नारायणी द्वारा अपीलाधीन भूमियों के संबंध में यह कथन करते हुए वाद पेश किया कि अपीलाधीन भूमि ग्राम बींजोलाव, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 840/2 रकबा 1–10–00 एवं खसरा नंबर 841/1 रकबा 11–2–00, खसरा नंबर 843 रकबा 0–4–00 कुल रकबा 12–16–00 भूमि गोपी पुत्र लादू कौम जाट साकिन मालेड़ा एक्जी.पी–2 के अनुसार खातेदारी में दर्ज थी । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया सिद्ध था कि वादीया संख्या 1 श्रीमती गलकू पत्नि गोपी एवं वादिया संख्या 2 श्रीमती नारायणी पुत्री गोपी खातेदार गोपी के हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार विधिक वारिसान है । इनमें से श्रीमती गलकू पत्नि गोपी का स्वर्गवास होने से उसका हक व हिस्सा उसकी एकमात्र पुत्री श्रीमती नारायणी को प्राप्त हुआ है । नामांतकरण संख्या 327 ग्राम पंचायत द्वारा मात्र सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर रामधन पुत्र मिश्रीलाल को गोपी का दत्तक पुत्र मानते हुए उक्त भूमि में रामधन के नाम नामांतकरण स्वीकृत किया गया है तथा उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जयपुर द्वारा अपील संख्या 75/2002 उनवानी गलकू व अन्य बनाम रामधन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 31.5.2004 में भी यह निर्णय दिया है कि मृतक की पत्नि और पुत्री को होते हुए अन्य को पगड़ी दस्तूर के कारण हक नहीं दिये जा सकते है । इस प्रकार इसका कानूनन कोई असर नहीं है इसलिये इस इंतकाल का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं करना भी उचित है । परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी अपीलांट ने अदालत से तथ्य छिपाकर अपील के साथ धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसमें जानकारी का अभाव वाला तथ्य गलत अंकित किया है जबकि पूर्व में प्रस्तुत अपील जो खारिज हुई की प्रमाणित प्रति से यह पूर्णतया साबित है कि प्रकरण की जानकारी अपीलांट को पूर्व से थी । इस प्रकार उक्त निर्ण्य में उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा भी पत्नि व पुत्री के होते हुए मात्र पगड़ी दस्तूर के आधार पर मृतक का वारिस नहीं माना गया है । हिन्दू दत्तक अधि0 1956 के प्रभाव में आने के बाद कोई भी गोदनामा बिना पंजीबद्ध गोदनामे के मान्य व स्वीकार योग्य नहीं है । खातेदार गोपी द्वारा रामधन को किसी पंजीबद्ध गोदनामे से गोद लिया हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । मात्र सजरे के आधार पर किसी व्यक्ति को गोद पुत्र मानकर नामांतकरण स्वीकृत करना विधिसंगतम नहीं माना जा सकता है । यही नहीं प्रारंभ से प्रस्तुत अपील एवं दावे में गलकू बेवा गोपी एवं नारायणी पुत्री स्व0 गोपी पत्नि बन्नाराम अंकित

करते हुए ही पेश किये गये है । इन प्रकरणों में गलकू बेवा गोपी व नारायणी पुत्री गोपी होने बाबत् अपीलांटस ने इंकारी की है किन्तु इसे दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया है । यही नहीं अपीलांटस ने अपने दत्तक पुत्र होने बाबत् कोई रजिस्टर्ड/अनरजिस्टर्ड गोदनामा भी प्रस्तुत नहीं किया है । केवल पगड़ी दस्तूर के कारण हक दिया जाना कानूनन उचित नहीं है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण उपरांत वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3.9.2019 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर